

घोषणा / सत्यापन

मैं..... एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 6 के निहितार्थ में मैं भारत का निवासी हूँ। मैं एतद्वारा यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दिया गया विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही, पूर्ण है एवं उचित रूप में बताया गया है और इस फॉर्म (प्रपत्र) में निर्दिष्ट आय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 60-64 के तहत किसी भी अन्य व्यक्ति की कुल आय में शामिल योग्य नहीं है। मैं आगे घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर कॉलम 21 में निर्दिष्ट *आय/आयों सहित मेरी अनुमानित कुल आय पर आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार कर को परिकलित किया गया है जो निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक को समाप्त पिछले वर्ष के लिए निल/शून्य होगा।

स्थान:.....

दिनांक:.....

घोषक के हस्ताक्षर

भाग II [उस व्यक्ति के लिए जिसके द्वारा घोषणा की गई है]

1. भाग I के कॉलम 21 में निर्दिष्ट आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम येस बैंक लिमिटेड	2. भाग II के कॉलम 1 में संकेतित व्यक्ति का पैन नं. AAACY2068D
3. पूरा पता येस बैंक लिमिटेड, नेहरू सेंटर, 9वीं मंजिल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डब्ल्यू. ए.बी. रोड, वर्ली, मुंबई-400018	4. भाग II के कॉलम 1 में संकेतित व्यक्ति का टैन नं. MUMY02084F
5. ईमेल	6. टेलीफोन नं. (एसटीडी कोड के साथ) और मोबाइल नं. (22) 66699000
8. दिनांक जब घोषणा की गई है (दिदि/मम/वववव)	9. अवधि जिसमें लाभांश घोषित हुआ है या आय का भुगतान/जमा हुआ है
12. राष्ट्रीय बचत योजना के तहत लाभांश/निकासी (वापसी) की घोषणा, वितरण या भुगतान का दिनांक (दिदि/मम/वववव) उपलब्ध नहीं	13. राष्ट्रीय बचत योजना का खाता संख्या जिससे निकासी की गई है उपलब्ध नहीं

मुख्य आयुक्त या आयकर आयुक्त को अग्रेषित.....

स्थान:.....

दिनांक:.....

भाग I के कॉलम 21 में निर्दिष्ट आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का हस्ताक्षर

नोट

- घोषणा को तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- *जो लागू नहीं है उसे हटा दें।
- सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पहले, घोषक/घोषणाकर्ता को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि घोषणा में दी गई जानकारी हरेक पहलू से सही और पूर्ण है। कोई भी व्यक्ति जो घोषणा में गलत विवरण देता है, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 277 के तहत उस पर मुकदमा चलाया जाएगा और दोष सिद्ध होने पर सजा का हकदार होगा—
 - पच्चीस लाख रुपये से अधिक की कर चोरी के मामले में, दोषी व्यक्ति को न्यूनतम छह महीने की सश्रम कारावास की सजा होगी जिसे जुर्माने के साथ सात साल के लिए और आगे बढ़ाया जा सकता है;
 - अन्य किसी मामले में, दोषी व्यक्ति को न्यूनतम तीन महीने की सश्रम कारावास की सजा होगी जिसे जुर्माने के साथ दो साल के लिए और आगे बढ़ाया जा सकता है।
- भाग I के कॉलम 21 में निर्दिष्ट आय के भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति घोषणा स्वीकार नहीं करेगा जहाँ धारा 197ए की उपधारा (1) या उपधारा (1सी) में निर्दिष्ट वर्ग की आय की राशि या वैसी आय की राशि का कुल योग जिससे उस पिछले वर्ष के दौरान जमा या भुगतान किया गया है या जमा या भुगतान किया जाना है जिसमें उस आय को शामिल किया जाना है, और जो कर के दायरे में नहीं आने वाली अधिकतम राशि और खंड VI-A के तहत कटौतियों, यदि कोई है, को पार करती हो जिसके लिए घोषक/घोषणाकर्ता पात्र है।

शाखा द्वारा भरे जाने के लिए

60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए फॉर्म 15 (एच) हेतु चेकलिस्ट

मैंने निम्नलिखित तथ्य देख लिए हैं और पुष्टि कर दी है:	टिक करें
1. ग्राहक की आयु >=60 वर्ष से कम है (यदि <60 वर्ष है तो फार्म 15 जी भरे)	
2. ग्राहक की ग्राहक आईडी के लिए बैंक रिकॉर्ड में पैन अपडेट किया गया है	
3. खाता मेंटेनेंस फॉर्म के साथ पैन कार्ड की प्रति संलग्न (यदि सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ है)	
4. ग्राहक ने (X) द्वारा संकेतित) छह स्थानों पर हस्ताक्षर किया है	

कर्मचारी का नाम _____

कर्मचारी कोड _____

कर्मचारी का हस्ताक्षर

दिनांक

शाखा की मोहर

घोषणा / सत्यापन

मैं..... एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 6 के निहितार्थ में मैं भारत का निवासी हूँ। मैं एतद्वारा यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दिया गया विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही, पूर्ण है एवं उचित रूप में बताया गया है और इस फॉर्म (प्रपत्र) में निर्दिष्ट आय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 60-64 के तहत किसी भी अन्य व्यक्ति की कुल आय में शामिल योग्य नहीं है। मैं आगे घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर कॉलम 21 में निर्दिष्ट *आय/आयों सहित मेरी अनुमानित कुल आय पर आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार कर को परिकलित किया गया है जो निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक को समाप्त पिछले वर्ष के लिए निल/शून्य होगा।

स्थान:.....

दिनांक:.....

ⓧ

घोषक के हस्ताक्षर

भाग II [उस व्यक्ति के लिए जिसके द्वारा घोषणा की गई है]

1. भाग I के कॉलम 21 में निर्दिष्ट आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम येस बैंक लिमिटेड	2. भाग II के कॉलम 1 में संकेतित व्यक्ति का पैन नं. AAACY2068D	
3. पूरा पता येस बैंक लिमिटेड, नेहरू सेंटर, 9वीं मंजिल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डॉ. ए.बी. रोड, वली, मुंबई-400018	4. भाग II के कॉलम 1 में संकेतित व्यक्ति का टैन नं. MUMY02084F	
5. ईमेल	6. टेलीफोन नं. (एसटीडी कोड के साथ) और मोबाइल नं. (22) 66699000	7. स्थिति घरेलू कंपनी
8. दिनांक जब घोषणा की गई है (दिदि/मम/वववव)	9. अवधि जिसमें लाभांश घोषित हुआ है या आय का भुगतान/जमा हुआ है	10. भुगतान की आय की राशि
		11. दिनांक जब आय का भुगतान/जमा हुआ है (दिदि/मम/वववव)
12. राष्ट्रीय बचत योजना के तहत लाभांश/निकासी (वापसी) की घोषणा, वितरण या भुगतान का दिनांक (दिदि/मम/वववव) उपलब्ध नहीं	13. राष्ट्रीय बचत योजना का खाता संख्या जिससे निकासी की गई है उपलब्ध नहीं	

मुख्य आयुक्त या आयकर आयुक्त को अग्रेषित.....

स्थान:.....

दिनांक:.....

भाग I के कॉलम 21 में निर्दिष्ट आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का हस्ताक्षर

नोट

- घोषणा को तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- *जो लागू नहीं है उसे हटा दें।
- सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पहले, घोषक/घोषणाकर्ता को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि घोषणा में दी गई जानकारी हरेक पहलू से सही और पूर्ण है। कोई भी व्यक्ति जो घोषणा में गलत विवरण देता है, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 277 के तहत उस पर मुकदमा चलाया जाएगा और दोष सिद्ध होने पर सजा का हकदार होगा—
 - पच्चीस लाख रुपए से अधिक की कर चोरी के मामले में, दोषी व्यक्ति को न्यूनतम छह महीने की सश्रम कारावास की सजा होगी जिसे जुर्माने के साथ सात साल के लिए और आगे बढ़ाया जा सकता है;
 - अन्य किसी मामले में, दोषी व्यक्ति को न्यूनतम तीन महीने की सश्रम कारावास की सजा होगी जिसे जुर्माने के साथ दो साल के लिए और आगे बढ़ाया जा सकता है।
- भाग I के कॉलम 21 में निर्दिष्ट आय के भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति घोषणा स्वीकार नहीं करेगा जहाँ धारा 197ए की उपधारा (1) या उपधारा (1सी) में निर्दिष्ट वर्ग की आय की राशि या वैसी आय की राशि का कुल योग जिससे उस पिछले वर्ष के दौरान जमा या भुगतान किया गया है या जमा या भुगतान किया जाना है जिसमें उस आय को शामिल किया जाना है, और जो कर के दायरे में नहीं आने वाली अधिकतम राशि और खंड VI-A के तहत कटौतियों, यदि कोई हैं, को पार करती हो जिसके लिए घोषक/घोषणाकर्ता पात्र है।

डिस्क्लेमर

- फॉर्म 15एच केवल 60 वर्ष या अधिक की आयु वाले व्यक्तियों के लिए भरा जाना है (यदि आय <60 वर्ष है तो फॉर्म 15जी भरें)
- बैंक के रिकॉर्ड में पैन विवरण अपडेट नहीं होने पर टीडीएस छूट मार्क नहीं किया जाएगा
- इस फॉर्म के जमा करने के दिनांक से टीडीएस छूट मार्क किया जाएगा
- पहले से ही काटा गया टीडीएस वापस नहीं होगा और आयकर विभाग से इसकी माँग की जानी होगी
- वित्तीय वर्ष की शुरुआत के भीतर प्रत्येक नए वित्तीय वर्ष में एक नया फॉर्म 15एच सबमिट करने की जरूरत होगी
- फॉर्म 15एच को तीन प्रतियों में सबमिट किया जाना है
- प्रपत्र 15एच बैंक के साथ मौजूद प्रत्येक सावधि जमा के लिए जमा किया जाना है।
- बैंक, फॉर्म 15एच के देरी से या गलत या नहीं जमा करने के चलते उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा
- मैं/हम पूरी तरह समझते हैं कि गलत पैन विवरण देने से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272बी के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है और गलत पैन विवरण देने की वजह से उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं है।

हस्ताक्षर और दिनांक के साथ शाखा की मोहर

फॉर्म 15 (एच)

धारा 197ए (1सी) और नियम 29 (सी) (1ए) देखें



आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197ए(1सी) के तहत घोषणा कर कटौती के बिना कुछ प्राप्तियों का दावा करने वाले उस व्यक्ति द्वारा होगी जिसकी आय साठ वर्ष या अधिक है

ग्राहक आईडी

भाग I

1. निर्धारिती का नाम (घोषक)		2. निर्धारिती का पैन नं.			
5. फ्लैट/द्वार/ब्लॉक सं.		6. परिसर का नाम		7. किस वार्ड/सर्किल में निर्धारण किया गया	
8. रोड/स्ट्रीट/लेन		9. क्षेत्र/मुहल्ला		10. एओ कोड (जिसके तहत पिछली बार निर्धारण किया गया)	
11. नगर/शहर/जिला		12. राज्य		13. पिन	
15. ईमेल		16. टेलीफोन नं. (एसटीडी कोड के साथ) और मोबाइल नं.		17. मौजूदा वार्ड/सर्किल	
18. व्यवसाय/कारोबार का नाम				19. मौजूदा एओ कोड (यदि उपरोक्त के समान न हो)	
20. आयकर के क्षेत्रीय मुख्य आयुक्त (जूरीडिक्शनल चीफ कमिशनर) या आयकर आयुक्त (यदि पहले आयकर का निर्धारण नहीं हुआ है)				21. नीचे उल्लेखित स्रोतों से अनुमानित कुल आय:	
				(कृपया प्रासंगिक बॉक्स को टिक करें)	
				अनुसूची I में निर्दिष्ट शेरों से लाभांश <input type="checkbox"/>	
				अनुसूची II में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों पर ब्याज <input type="checkbox"/>	
				अनुसूची III में निर्दिष्ट राशियों पर ब्याज <input type="checkbox"/>	
				अनुसूची IV में निर्दिष्ट यूनिट पर ब्याज <input type="checkbox"/>	
				राष्ट्रीय बचत योजना से धारा 80सीसीए(2)(ए) में निर्दिष्ट निकासी की राशि अनुसूची V में संदर्भित है <input type="checkbox"/>	
22. पिछले वर्ष से अनुमानित कुल आय जिसमें कॉलम 21 में उल्लेखित आय शामिल की जानी है				<input type="checkbox"/>	

23. की जा रही घोषणा के संदर्भ में निवेश का विवरण:

अनुसूची I (उन शेरों का विवरण जो घोषक/घोषणाकर्ता के नाम से हैं और लाभदायक रूप से उसके स्वामित्व में हैं)

शेरों की संख्या	भोयों की श्रेणी और प्रत्येक शेर का अंकित मूल्य	शेरों का कुल अंकित मूल्य	शेरों की विशिष्ट संख्या	दिनांक जब घोषक द्वारा शेर हासिल किए गए (दिदि/मम/वववव)

अनुसूची II (उन प्रतिभूतियों का विवरण जो घोषक/घोषणाकर्ता के नाम से हैं और लाभदायक रूप से उसके स्वामित्व में हैं)

प्रतिभूतियों का विवरण	प्रतिभूतियों की संख्या	प्रतिभूतियों का दिनांक (दिदि/मम/वववव)	प्रतिभूतियों की राशि	दिनांक जब घोषक द्वारा प्रतिभूतियाँ हासिल की गईं (दिदि/मम/वववव)

अनुसूची III (घोषक द्वारा ब्याज पर दी गई राशियों का विवरण)

उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे ब्याज पर राशि दी गई है	ब्याज पर दी गई वैसी रकमों की राशि	दिनांक जब ब्याज पर राशियाँ दी गईं (दिदि/मम/वववव)	वह अवधि जिसके लिए ब्याज पर वैसी रकम दी गई	ब्याज दर

अनुसूची IV (उन म्यूचुअल फंड यूनिटों का विवरण जो घोषक/घोषणाकर्ता के नाम से हैं और लाभदायक रूप से उसके स्वामित्व में हैं)

म्यूचुअल फंड का नाम और पता	यूनिटों की संख्या	यूनिटों की श्रेणी और प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य	यूनिटों की विशिष्ट संख्या	यूनिटों के संबंध में आय

अनुसूची V (राष्ट्रीय बचत योजना से की गई निकासी का विवरण)

उस डाकघर का विवरण जहाँ राष्ट्रीय बचत योजना के तहत खाता बनाए रखा गया है और खाता संख्या	दिनांक जब खाता खोला गया (दिदि/मम/वववव)	खाते से निकाली गई राशि

घोषणा / सत्यापन

मैं..... एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 6 के निहितार्थ में मैं भारत का निवासी हूँ। मैं एतद्वारा यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दिया गया विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही, पूर्ण है एवं उचित रूप में बताया गया है और इस फॉर्म (प्रपत्र) में निर्दिष्ट आय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 60-64 के तहत किसी भी अन्य व्यक्ति की कुल आय में शामिल योग्य नहीं है। मैं आगे घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर कॉलम 21 में निर्दिष्ट *आय/आयों सहित मेरी अनुमानित कुल आय पर आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार कर को परिकलित किया गया है जो निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक को समाप्त पिछले वर्ष के लिए निल/शून्य होगा।

स्थान:.....

दिनांक:.....

ⓧ

घोषक के हस्ताक्षर

भाग II [उस व्यक्ति के लिए जिसके द्वारा घोषणा की गई है]

1. भाग I के कॉलम 21 में निर्दिष्ट आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम येस बैंक लिमिटेड	2. भाग II के कॉलम 1 में संकेतित व्यक्ति का पैन नं. AAACY2068D	
3. पूरा पता येस बैंक लिमिटेड, नेहरू सेंटर, 9वीं मंजिल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डॉ. ए.बी. रोड, वली, मुंबई-400018	4. भाग II के कॉलम 1 में संकेतित व्यक्ति का टैन नं. MUMY02084F	
5. ईमेल	6. टेलीफोन नं. (एसटीडी कोड के साथ) और मोबाइल नं. (22) 66699000	7. स्थिति घरेलू कंपनी
8. दिनांक जब घोषणा की गई है (दिदि/मम/वववव)	9. अवधि जिसमें लाभांश घोषित हुआ है या आय का भुगतान/जमा हुआ है	10. भुगतान की राशि
		11. दिनांक जब आय का भुगतान/जमा हुआ है (दिदि/मम/वववव)
12. राष्ट्रीय बचत योजना के तहत लाभांश/निकासी (वापसी) की घोषणा, वितरण या भुगतान का दिनांक (दिदि/मम/वववव) उपलब्ध नहीं	13. राष्ट्रीय बचत योजना का खाता संख्या जिससे निकासी की गई है उपलब्ध नहीं	

मुख्य आयुक्त या आयकर आयुक्त को अग्रेषित.....

स्थान:.....

दिनांक:.....

भाग I के कॉलम 21 में निर्दिष्ट आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का हस्ताक्षर

नोट

- घोषणा को तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- *जो लागू नहीं है उसे हटा दें।
- सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पहले, घोषक/घोषणाकर्ता को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि घोषणा में दी गई जानकारी हरेक पहलू से सही और पूर्ण है। कोई भी व्यक्ति जो घोषणा में गलत विवरण देता है, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 277 के तहत उस पर मुकदमा चलाया जाएगा और दोष सिद्ध होने पर सजा का हकदार होगा—
(v) पच्चीस लाख रूपए से अधिक की कर चोरी के मामले में, दोषी व्यक्ति को न्यूनतम छह महीने की सश्रम कारावास की सजा होगी जिसे जुर्माने के साथ सात साल के लिए और आगे बढ़ाया जा सकता है;
(vi) अन्य किसी मामले में, दोषी व्यक्ति को न्यूनतम तीन महीने की सश्रम कारावास की सजा होगी जिसे जुर्माने के साथ दो साल के लिए और आगे बढ़ाया जा सकता है।
- भाग I के कॉलम 21 में निर्दिष्ट आय के भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति घोषणा स्वीकार नहीं करेगा जहाँ धारा 197ए की उपधारा (1) या उपधारा (1सी) में निर्दिष्ट वर्ग की आय की राशि या वैसी आय की राशि का कुल योग जिससे उस पिछले वर्ष के दौरान जमा या भुगतान किया गया है या जमा या भुगतान किया जाना है जिसमें उस आय को शामिल किया जाना है, और जो कर के दायरे में नहीं आने वाली अधिकतम राशि और खंड VI-A के तहत कटौतियों, यदि कोई हैं, को पार करती हो जिसके लिए घोषक/घोषणाकर्ता पात्र है।

डिस्क्लेमर

- फॉर्म 15एच केवल 60 वर्ष या अधिक की आयु वाले व्यक्तियों के लिए भरा जाना है (यदि आय <60 वर्ष है तो फॉर्म 15जी भरें)
- बैंक के रिकॉर्ड में पैन विवरण अपडेट नहीं होने पर टीडीएस छूट मार्क नहीं किया जाएगा
- इस फॉर्म के जमा करने के दिनांक से टीडीएस छूट मार्क किया जाएगा
- पहले से ही काटा गया टीडीएस वापस नहीं होगा और आयकर विभाग से इसकी माँग की जानी होगी
- वित्तीय वर्ष की शुरुआत के भीतर प्रत्येक नए वित्तीय वर्ष में एक नया फॉर्म 15एच सबमिट करने की जरूरत होगी
- फॉर्म 15एच को तीन प्रतियों में सबमिट किया जाना है
- प्रपत्र 15एच बैंक के साथ मौजूद प्रत्येक सावधि जमा के लिए जमा किया जाना है।
- बैंक, फॉर्म 15एच के देरी से या गलत या नहीं जमा करने के चलते उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा
- मैं/हम पूरी तरह समझते हैं कि गलत पैन विवरण देने से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272बी के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है और गलत पैन विवरण देने की वजह से उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं है।

हस्ताक्षर और दिनांक के साथ शाखा की मोहर